

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2019/ 288

दिनांक 17/6/19

-: आदेश :-

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की लेवल इन पे मेट्रिक एल-14 स्वीकृत की जाती है :-

क्र.स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि अ के पद पर परीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1	डॉ. भरत सिंह चौहान	26.06 1992	03 10.2017	02.10.2018	03 10 2018
2.	डॉ. मधु सूदन अग्रवाल	14.09.1987	09.10.2017	08 10 2018	09 10 2018
3.	डॉ. लाखन सिंह	06.05.1989	24.07.2017	23.07.2018	24 07 2018
4.	डॉ. नरेश कडवासरा	02.01.1990	24.07 2017	25 07.2018 (32 EOL)	26 07.2018
5.	डॉ. दीपक सैनी	01.02 1987	06 10.2017	05 10 2018	06.10.2018
6	डॉ सौम्या जैन	30 04.1989	09 10 2017	24.10 2018 (46 EOL)	25 10 2018
7	डॉ सोनिया मीना	03 08 1989	11 08.2017	09.11.2018 (121 EOL)	10.11.2018
8.	डॉ रजनीश कुमार	28.08.1990	11 08 2017	10 08.2018	11 08 2018
9	डॉ. अभिशिखा व्यास	05 10 1991	05.10 2017	04.10.2018	05.10.2018
10	डॉ. आदित्य राठौड	25.07 1990	12.08 2017	11.08 2018	12 08 2018
11	डॉ. रामनिवास भादू	10.07.1991	24 07.2017	27.07.2018 (34 EOL)	28.07.2018
12.	डॉ. सन्दीप कुमार	04.07 1988	24.07.2017	23.07.2018	24.07.2018
13.	डॉ. मनमोहन सिंह	28.10.1990	28 07 2017	27.07.2018	28 07.2018
14.	डॉ. स्मृति धाबाई	01.02.1987	27.07 2017	26.07.2018	27 07 2018
15	डॉ. स्नेहा धाबाई	01 02 1987	12.08 2017	23 08.2018 (42 EOL)	24 08 2018
16.	डॉ. अभिषेक जैन	03 07.1987	20.05 2014	19.05.2015	20.05.2015
17	डॉ. प्रदीप कुमार	01 07 1990	03.10 2017	02.10.2018	03 10 2018
18	डॉ. मदन भोहन गुप्ता	28 12 1988	04 10 2017	03 10 2018	04 10.2018

28/6/19

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित / डीपीसी / 2019 / 289

दिनांक 17/6

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश / रक्षित पत्रावली।

17/6/19

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर